

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी - रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 13/2025

अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. काश्तकारी अधिनियम

दिनेश कुमार पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

....वादी

1. उग्रसैन पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर
3. बन्दु [पुत्री श्री उग्रसैन] पत्नी श्री महेश कुमार जाति जाट निवासी चक 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

— प्रतिवादीगण

उपरिथत-अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी
अधिवक्ता शुभम पारीक
पैरोकार राज

वादी
प्रतिवादी 1 ता 3
(प्रति.-4)

—:: निर्णय ::—

दिनांक 16.04.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माताजी है। प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है। प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है :-

उग्रसैन पुत्र देवीलाल (प्रतिवादी संख्या 1)

श्रीमती कमला देवी (पत्नी) (प्रति. संख्या 2)	बन्दु (पुत्री) (प्रति. संख्या 3)	दिनेश कुमार (पुत्र) (वादी)
---------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------

इसके अलावा अन्य को वारिस नहीं है।

चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 13/11 के मुख्या नम्बर 39 के किला नम्बर 1(0.228 है.), 2 से 7(प्रत्येक में 0.253 है.), 8/1(0.026 है.) कुल 1.772 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 उग्रसैन

पुत्र देवीलाल के नाम से जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 5 क्यू के खाता संख्या 13/11 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 34/28 के मुख्या नम्बर 39 के किला नम्बर 8/2(0.227 है.), 9(0.253 है.), 10(0.228 है.), 11(0.228 है.), 12 से 14 (प्रत्येक में 0.253 है.), 15/1(0.076 है.) कुल 1.771 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 उग्रसैन पुत्र देवीलाल के नाम से जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 5 क्यू के खाता संख्या 34/28 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 75/37 के मुख्या नम्बर 39 के किला नम्बर 15/2(0.177 है.), 16 से 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20(0.228 है.), 21(0.228 है.), 22(0.253 है.), 23(0.253 है.), 24/1(0.151 है.), 24/2(0.101 है.) कुल 2.403 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 उग्रसैन पुत्र देवीलाल के नाम से जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 5 क्यू के खाता संख्या 75/37 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है।


वादी के पिताजी/ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वर्णित चक 5 क्यू के खाता संख्या 13/11 व 34/28, 75/37 की कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि है जो वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 इनके भाईयो द्वारा किये गये राजीनामा बंटवारा अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 03/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22/07/2020 के द्वारा हुए नामान्तरण संख्या 531 दिनांक 04/01/2023 एवं नामान्तरण संख्या 532 दिनांक 04/01/2023 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन सम्पति है उक्त विरास्तन जायदाद में वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने पारस्परिक सहमति से किए गए घरेलू समझौता अनुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 13/11 के मुख्या नम्बर 39 की कुल 1.772 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 1(0.228 है.), 2 से 6 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.493 है. नहरी कृषि भूमि वादी दिनेश कुमार पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को घरेलू बंटवारा में दी गई जिसका वादी काबिज काशत है। उक्त घरेलू बंटवारा में आई कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक

02/01/2025 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये है, यही बिनाय मुख्यास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस होने एवं प्रतिवादी संख्या 4 लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार संयोजित किए गए है। वाद पत्र, वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

- (क) कि चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 13/11 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 1.772 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 1(0.228 है.), 2 से 6 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.493 है. नहरी कृषि भूमि वादी दिनेश कुमार पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर अलग लगाने कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।
- (ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
- (घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी संख्या 1 उग्रसैन के नाम चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 13/11 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 1.772 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 1 (0.228 है.), 2 से 6 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.493 है. नहरी कृषि भूमि वादी दिनेश कुमार पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को बंटवारा में दी गई है।

अतः उक्त राजीनामानुसार प्रतिवादी संख्या 1 उग्रसैन पुत्र देवीलाल के नाम चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 13/11 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 1.772 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 1(0.228 है.), 2 से 6 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.493 है. नहरी कृषि भूमि वादी दिनेश कुमार पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की


उपलब्ध प्रतिवादी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जाकर उक्तानुसार डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। लिहाजा यह राजीनामा पक्षकारान ने अपने साबते होशो हवास में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने स्वेच्छा से तहरीर करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्-2073-2076 ग्राम 5 क्यू, पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 13/11, जमाबंदी सम्वत्-2073-2076 ग्राम 5 क्यू, पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 34/28, जमाबंदी सम्वत्-2073-2076 ग्राम 5 क्यू, पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 75/37 की प्रति पेश की गई। भूमि के विरास्त साक्ष्य एवम् भूमि के पूर्व हुए पारिवारिक विभाजन बाबत श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2020 की फोटो प्रति पेश की गई। वकील वादी एवम् वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा बहस में वाद को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रारवली पर प्रस्तुत जमाबंदी एवं भूमि के पूर्व हुए पारिवारिक विभाजन बाबत श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2020 की प्रति का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178

आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी


1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

--: आदेश :-

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 उग्रसैन पुत्र देवीलाल के नाम चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 13/11 के मुख्बा नम्बर 39 की कुल 1.772 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 1(0.228 है.), 2 से 6 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल= 1.493 है. नहरी कृषि भूमि का वादी दिनेश कुमार पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर


अनवान दिनेश कुमार बनाम उग्रसेन
वाद मुकदमा नं. 13/2025

तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेंन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.04.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर